फर्द अहकाम

महेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार किशनगढ रेनवाल

न्यायालयः– उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

संख्याः– 40/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि0वि0
13.06.18	श्री महेन्द्र सिंह, जयरामपुरी बाबा आश्राम तपोस्थली डूंगरीकलां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 131 एवं 132 भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम डूंगरीकलां तह0 किशनगढ रेनवाल का पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 10.08.16 को जारी राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र प.3(2) राज–6/2003/पार्ट के क्रम में ख0न0 183/1, 399/2 चरागाह एवं 184/1 गै0मु0 पहाड में से श्री जयराम कुडी बाबा तपोस्थली तक जाने हेतु रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने का पेश किया है जिसके संबंध में तह0 किशनगढ रेनवाल ने अपने पत्रांक 6043 दिनांक 21.12.17 से रिपोर्ट प्रेषित कर बताया है कि वर्तमान में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता रास्ते के रूप में काम आ रहा है जिसका नक्शा ट्रेस भी संलग्न प्रेषित किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सरपंच डूंगरीकलां को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.04.18 को ग्राम पंचायत डूंगरीकलां की तरफ से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते को रिकार्ड में दर्ज करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव पारित कर प्रस्ताव संख्या 2 की प्रति पेश की है प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रैस एवं पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का व तहसीलदार किशनगढ रेनवाल एवं ग्राम पंचायत डूंगरीकलां की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाकै ग्राम डूंगरीकलां तह0 किशनगढ रेनवाल के आराजी ख0न0 183/1 रकबा 130 बीघा 10 बिस्वा में से 2 बीघा 6 बिस्वा, 399/2 रकबा 120 बीघा 13 बिस्वा में से 2 बीघा 9 बिस्वा किस्म चरागाह की भूमि जो मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग हो रही है में नियम 58 से 68 एवं 86 के तहत बटा नम्बर डालकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। भूमि किस्म चारागाह यथावत् रहेगी एवं ख0न0 184/1 रकबा 187 बीघा 19 बिस्वा गै0मु0 पहाड में से 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि जो मौके पर रास्तें के रूप में उपयोग हो रही है को उक्त नियमों के तहत बट्टा नम्बर डालकर किस्म भूमि गै0मु0 रास्ता के रूप में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रिकार्ड में अंकित की जाकर प्रस्तावित रास्ता अनुसार नक्शे में लाल स्याही से तरमीम की जावें। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश की प्रति एवं प्रस्तावित नक्शे की एक प्रति अमल दरामद हेतु भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.06.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी साँभर लेक	

Scanned by CamScanner